23/3/2022 – पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 17 / 2022

प्रार्थी – दिया राम पुत्र शिवराज जाति जाट निवासी चांचियावास तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी – तहसीलदार डेगाना जिला नागौर राज0

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

अधिवक्ता प्रार्थी –श्री कमलेश नारायण व्यास

दिनांक 23/3/2022

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चांचियावास की सरहद में जमीन खसरा नंबर 213 रकबा 1.8800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248 / 1 रकबा 1.3450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.0800 हैक्टेयर गै.मु. सड़क स्थित है। प्रार्थी का सही नाम दिया राम पुत्र शिवराज है तथा प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम दिया राम पुत्र शिवराज है। उपरोक्त खसरान की जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम दयालराम गलत दर्ज कर दिया यानि प्रार्थी का नाम दयालराम सहवन से गलत दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम दिया राम दर्ज किया जाना था। दिया राम व दयालराम नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। इन नामों के अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। मुतनाजा खसरान की खातेदारी में प्रार्थी का नाम दिया राम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को मुतनाजा भूमि का विकास करवाने, ऋृण सुविधा प्राप्त करने एवं सरकारी सहायता इत्यादि प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है व प्रार्थी के जायज हकों व अधिकारों पर भयंकर कुठाराधात हो रहा है तथा प्रार्थी को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है जिससे उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत नाम दयालराम के स्थान पर दिया राम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त खसरान की खातेदारी में गलत नाम दयालराम के स्थान पर दिया राम कर दिया जाता है तो किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चांचियावास तहसील डेगाना के खसरा नंबर 213, 247, 248 / 1 में दर्ज दयालराम पुत्र शिवराज के स्थान पर सही नाम दिया राम पुत्र शिवराज दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने जवाब पेश

कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चांचियावास के खसरा नंबर 213, 248/1, 247 में राजस्व रिकार्ड में दयालराम पुत्र शिवराज दर्ज है एवं अन्य संलग्न दस्तावेज में दिया राम दर्ज है। अतः ग्राम चांचियावास के खसरा नंबर 213, 248/1, 247 में दयालराम पुत्र शिवराज के स्थान पर दिया राम पुत्र शिवराज जाति जाट शुद्व किया जाना उचित है।

उपस्थित पक्षों का सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2075 खाता संख्या 164 खसरा नंबर 213, 247, 248/1 में दयालराम पुत्र शिवराज दर्ज है। अन्य प्रस्तुत दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में दिया राम पुत्र शिवराज दर्ज है। भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने जवाब पेश कर उक्त खातेदारी भूमि में दयालराम पुत्र शिवराज के स्थान पर दिया राम पुत्र शिवराज किये जाने की अनुशंषा की है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चांचियावास की सरहद में जमीन खसरा नंबर 213 रकबा 1.8800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248/1 रकबा 1.3450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.0800 हैक्टेयर गै.मु. सड़क भूमि की खातेदारी में दर्ज दयालराम पुत्र शिवराज के स्थान पर दिया राम पुत्र दयालराम पुत्र शिवराज दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। खाते के शेष प्रविष्टियां पूर्ववत्त रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/3/2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)